उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल
फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 134 वर्ष 2014

संजय बनाल .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थितः

श्री बी0एम0 पिंगल, पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता।
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, डिप्टी ए0जी0 सहित सुश्री शिवांगी गंगवार संक्षिप्त धारक राज्य की ओर से।

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

यह फौजदारी पुनरीक्षण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी, विकासनगर जिला देहरादून हरिद्वार द्वारा दिनांक 11.07.2011 को फौजदारी वाद संख्या 1817 वर्ष 2010 ''राज्य बनाम हरिमोहन'' में पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को धारा 353, 332 और 504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए धारा 353 के अन्तर्गत रूपये 500/– (पांच सौ रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ छह महीने के कठोर कारावास तथा धारा 332 के अन्तर्गत रूपये 500/–(पांच सौ रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ छह महीने का कठोर कारावास तथा धारा 504 के अन्तर्गत रूपये 500/–(पांच सौ रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ तीन महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त आदेश दिनांकित 11.07.2011 के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश विकासनगर, जिला देहरादून केसमक्ष अपील दायर की, जिसे भी आदेश दिनांकित 28.06.2014 द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि पुनीक्षणवादी/अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 353, 332 और 504 के तहत पुलिस स्टेशन सहसपुर, जिला देहरादून में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने उनके विरूद्ध अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है तथा सरकारी कर्मचारियों से मारपीट की और सार्वजनिक कार्य में बाधा उत्पन्न की। विवेचना के बाद पुलिस ने पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए चार गवाह, पीडब्लू–1 आविद अली, पीडब्लू–2 पी एस बुटोला, पीडब्लू–3 जगदीश प्रसाद और पीडब्लू–4 अतर सिंह को परीक्षित कराया। उसके बाद द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत पुनरीक्षणकर्ता के कथन अंकित किये गये जवाब में उसने अभियोजन की कथानक से इनकार किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने आरोपी/पनुरीक्षणकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 353, 332 और 504 के तहत दोषसिद्ध किया गया और तदनुसार सजा सुनाई। इसी से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने अपील को प्राथमिकता दी परन्तु अपीलीय न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का पक्ष नहीं लिया और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

5. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता श्री बी एम पिंगल द्वारा अपने तर्क में केवल सजा की मात्रा तक ही सीमित रखते हुए कहा गया कि घ ाटना वर्ष 2002 की है तब से लगभग 18 वर्ष बीत चुके हैं और पुनरीक्षणकर्ता को अपने विरूद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण लगातार मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि सजा को कम करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता हैं। हालाँकि, उनका तर्क था कि यदि न्यायालय को वांछनीय लगता है तो विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और समग्र अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अभिलेख पर मौजूद समस्त साक्ष्य का पुनः अवलोकन करने और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के बाद, मुझे अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली। विचारण न्यायालय के साथ–साथ अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता को सही ढंग से दोषी ठहराया है। इसलिए पुनरीक्षणकर्ता का दृढ़ विश्वास पुष्ट होता है। अब, इस न्यायालय को केवल सजा के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करना है।

8. सजा के प्रश्न पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार करने के उपरांत, मेरे विचार से घटना के 18 वर्ष बीत जाने के बाद पुनरीक्षणकर्ता को जेल भेजने से कोई भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी उपयोगी। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता को दी गयी सजा,

उनके द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि एवं मु0 25,000/–रूपये तक कम किये जाने योग्य है।

9. तदनुसार, भा0द0सं0 की धारा 353,332 और 504 के तहत अवर न्यायालयों द्वारा दी गयी सजा की पुष्टि करके पुनरीक्षण की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। हालांकि ऊपर वर्णित कारणों से, आक्षेपित आदेशों के सजा वाले भाग को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है और साथ ही 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, जो उसे आज से एक महीने के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करना होगा। पुनरीक्षणकर्ता उसके द्वारा पहले ही जमा किए गए जुर्माने, यदि कोई हो, के समायोजन का हकदार होगा। ऊपर बताए अनुसार जुर्माना जमा करने में विफलता के मामले में, नीचे की न्यायालयों द्वारा दर्ज की गई सजा पुनर्जीवित हो जाएगी।

10. पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर है। जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानतनामे अपास्त किये जाते हैं और जमानतियों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

11. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को को अविलम्ब प्रेषित की जाए। अवर न्यायालय का रिकॉर्ड भी वापस प्रेषित किया जाए।

नितेश/

(लोक पाल सिंह, जे.)

14.01.2021